प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका (227) संख्या 904/2010

सुखदेव सिंह बच्छु

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

आदेश के लिए सूचीबद्ध करें दिनांक: 11/01/2011

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय. बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका (227) संख्या 904/2010

याचिकाकर्ता/ आवेदक सुखदेव सिंह बच्छु, पिता स्वर्गीय श्री मंगल सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी - तहसीलपारा, कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण/ अनावेदकगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा :

सचिव, वन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. वन संरक्षक (अपीलीय प्राधिकारी), कांकेर संभाग, जिला- कांकेर (छ.ग.)

3. वनमण्डल अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी), वनमण्डल (पश्चिम), कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)

(उचित रिट या परमादेश/उत्प्रेषण, आदेश, दिशा-निर्देश आदि जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका)

उपस्थिति:

श्री विष्णु कोष्टा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अरुण साव, राज्य/ उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।

आदेश

(11/01/2011)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

(1) याचिकाकर्ता- सुखदेव सिंह बच्छु ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04/जेडजी - 5388 और ट्रॉली क्रमांक सीजी 04/जेडजी - 5389 का मालिक है। उसके ट्रैक्टर और ट्रॉली का वन अधिकारियों ने दिनांक 19.4.2008 को इस आधार पर अभिग्रहण कर लिया था कि उक्त वाहन 0.432 घन मीटर सागौन की 9 लकड़ियों के अवैध परिवहन में लगे हुए थे। उपरोक्त अभिग्रहण के फलस्वरूप वन अपराध क्रमांक 408/15 दिनांक 20.4.2008 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) (क) एवं 41 के तहत पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा 52 (3) के तहत उक्त वाहनों की अधिहरण की कार्यवाही की गई।

(2) प्राधिकृत अधिकारी/ उप-मण्डलाधिकारी, पश्चिम कोंडागांव, वन उप-मण्डल ने याचिकाकर्ता को दिनांक 22.4.2008 को अधिहरण के लिए कारण बताओ सूचना जारी किया। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.4.2008 को जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए और याचिकाकर्ता को भी खंडन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.09.2008 को स्वयं का परीक्षण कराया और यह कथन किया कि वह ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का स्वामी है। दिनांक 19.04.2008 को उसका ट्रैक्टर एवं ट्राली ड्राइवर धन्नू पुत्र मंगल मुर्या, निवासी जामकोटपारा, कोंडागांव के घर में रखा था। ड्राइवर ने उसकी जानकारी और अनुमति के बिना वाहन ले लिए और अंततः दिनांक 20.4.2008 को उसे पता चला कि वाहनों को वन अधिकारियों ने जब्त कर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्राधिकृत अधिकारी ने अपने समक्ष उपलब्ध संपूर्ण तत्वों पर उचित विचार करने के बाद दिनांक 16.12.2008 को ट्रैक्टर और ट्रॉली को अधिहरण करने का आदेश पारित किया (अनुलग्नक पी/1)। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जिसे उक्त प्राधिकारी ने दिनांक 15.4.2009 को खारिज कर दिया (अनुलग्नक पी/2)। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 13/2009 (अनुलग्नक

पी/4) दायर किया, जिसे दिनांक 11.12.2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उक्त अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली का कब्जा बहाल करने की प्रार्थना की है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के ड्राइवर ने उनकी जानकारी के बिना उनके वाहनों का इस्तेमाल किया जो अभिलेख पर साबित हुआ है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सभी उचित और आवश्यक सावधानी बरती थी कि उसके वाहन अवैध गतिविधियों में शामिल न हों, लेकिन उसके बाद भी चालक एक विवाह स्थल से कुछ वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहन ले गया और जब ट्रैक्टर उक्त वस्तुओं का परिवहन कर रहा था तो उसमें कथित तौर पर सागौन के लट्ठे पाए गए। उन्होंने तर्क दिया कि विवाह स्थल से सामान की ढुलाई के लिए उन्होंने अपना ट्रैक्टर भी नहीं लगाया था. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब वाहनों का उपयोग उनकी जानकारी के बिना किया जा रहा था, तो वे वन अधिनियम की धारा 52 (3) के तहत अधिहरण के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य/ उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण साव ने इन तर्कों का विरोध किया और अधिहरण के आदेश का समर्थन किया।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(7) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 में जब्ती योग्य संपत्ति का अधिहरण और उसके लिए प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 52 की उपधारा (5) में प्रावधान है कि उपधारा (3) के तहत किसी भी उपकरण, वाहन, नाव, रस्सियाँ, जंजीर या किसी अन्य वस्तु (अभिग्रहण की गई लकड़ी या वन-उपज के अलावा) को अधिहरण करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, यदि उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित कर देता है कि ऐसे किसी भी उपकरण, वाहन, नाव, रस्सियों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना, या फिर उसके नौकर या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया है और वन-अपराध के लिए उपरोक्त वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ सभी उचित और आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता वाहनों का मालिक था। इसलिए, उसे अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि वाहनों का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उसने वन अपराध के लिए वाहनों के उपयोग के खिलाफ सभी उचित और आवश्यक सावधानियां बरती थीं। याचिकाकर्ता ने खुद का ब.सा.-4 के रूप में परीक्षण कराया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह एक कृषक था और उक्त ट्रैक्टर और ट्रॉली का मालिक भी था। दिनांक 19.4.2008 को उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली उसके ड्राइवर धन्नू के कब्जे में थी, जो ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने घर में रखता था। चालक अपनी मर्जी से ट्रैक्टर-ट्राली को कहीं ले गया होगा, इसकी जानकारी उसे नहीं है। दिनांक 20.4.2008 को उसे पता चला कि उसके वाहन कोण्डागांव के वन डिपो में रखे गये हैं। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उक्त ट्रैक्टर चलाने के लिए उसके ड्राइवर के साथ कोई अनुबंध नहीं हुआ था। चालक मासिक वेतन पर उसका ट्रैक्टर चलाता था। प्राधिकृत अधिकारी के सुझाव में उसने स्वीकार किया कि "यह कहना सही है कि दिन में वाहन चलाने के बाद ड्राइवर उन्हें अपने घर में रखता था, क्योंकि मजदूर उसी मोहल्ले में रहते थे जहां ड्राइवर का घर स्थित था।" उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे विश्वास था कि ड्राइवर उसके वाहनों को किसी भी अवैध कार्य में शामिल नहीं करेगा। ड्राइवर धन्नू का भी ब.सा.-2 के रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण किया गया है। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 19.4.2008 को वह उक्त ट्रैक्टर का चालक था। ट्रैक्टर-ट्रॉली उसके घर में रखे हुए थे। वह अपने पड़ोसी के बेटे की शादी में दिया गया शादी का सामान लाने के लिए ट्रैक्टर लेकर कुशमा गया था। अभियोजन पक्ष ने लाडरू (अ.सा.-7) का परीक्षण कराया है, जिसके बेटे की शादी हुई थी। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को उसने अपने बेटे की शादी में नहीं लगाया था। हालांकि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि ट्रैक्टर में कितने लोग बैठे थे और चंदन को ट्रैक्टर बुलाने के लिए किसने कहा था। लाडरू (अ सा - 7) के साक्ष्य के अनुसार, ट्रैक्टर उसके मालिक या ड्राइवर के माध्यम से उसके बेटे की शादी में नहीं लगा था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन वन अधिकारियों का परीक्षण कराया गया है, उनमें से लगभग सभी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि बाराती ट्रैक्टर और ट्रॉली में यात्रा कर रहे थे, जो वन अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर रोके जाने के बाद भाग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि चंदन, जिसका नाम लाडरू (अ.सा.-7) के प्रतिपरीक्षण में आया है, ने ट्रैक्टर बुलाया था जो बारात में लगा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि ट्रैक्टर मालिक के माध्यम से लगा था या मालिक को बरात में अपना ट्रैक्टर लगे होने की जानकारी थी। इसलिए, ऐसी स्थिति में, यह ड्राइवर और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी जिसके निर्देश पर लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जो अंततः दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन उनके कथित अवैध कृत्यों के लिए याचिकाकर्ता के वाहनों को अधिहरण नहीं किया जा सकता है।

(9) प्राधिकृत अधिकारी ने निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि "उपरोक्त अवैध परिवहन याचिकाकर्ता की जानकारी में था; यदि यह उसकी जानकारी में नहीं होता तो वह अपने ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता जो उसके द्वारा नहीं किया गया; याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ड्राइवर ने ट्रैक्टर और ट्रॉली अपने घर में रखी थी, लेकिन इस आशय का कोई अनुबंध दायर नहीं किया गया था।" केवल मालिक द्वारा चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज न कराने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अवैध परिवहन या तो मालिक की जानकारी में था या मालिक की मौनानुकूलता से किया गया था। यह उम्मीद करना कि सामान्य परिस्थितियों में वाहन चालक के घर में रखने के लिए चालक और मालिक के बीच कोई अनुबंध होगा, असामान्य प्रतीत होता है। कई स्थितियों में हमने अनुभव किया है कि वाहन ड्राइवरों के घरों में रखे जाते हैं। यह अप्राकृतिक नहीं है. वर्तमान मामले में स्पष्टीकरण यह भी है कि मजदूर चालक के मोहल्ले में रहते थे, इसलिए ट्रैक्टर को चालक ने अपने पास रखा था ताकि वह मालिक के घर आते समय मजदूरों को ट्रैक्टर में ला सके। इसके विपरीत किसी भी अन्य साक्ष्य के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा प्रमाणित होती है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिनकी अपीलीय प्राधिकारी और सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, अनुचित प्रतीत होते हैं। वस्तुतः, यह सिद्ध हुआ कि वाहनों का उपयोग याचिकाकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था तथा यह भी कि याचिकाकर्ता ने वन अपराध के लिए अपने वाहनों के उपयोग को रोकने हेतु सभी उचित और आवश्यक सावधानियाँ बरती थी क्योंकि उसने वाहनों की अभिरक्षा किसी और को नहीं बल्कि अपने सम्यक रूप से नियुक्त ड्राइवर को दी थी, जिस पर वह विश्वास और भरोसा करता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उपर्युक्त कारणों के आधार पर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अधिहरण का आदेश दिनांक 16.12.2008 (अनुलग्नक - पी/1), साथ ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.4.2009 को पारित आदेश (अनुलग्नक - पी/2), और सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2009 को पारित आदेश (अनुलग्नक - पी/4) को अभिखंडित किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली अभिग्रहण की तारीख यानी दिनांक 19.4.2008 से वन अधिकारियों के कब्जे में हैं। वन अधिकारियों को जब्त किए गए ट्रैक्टर और ट्रॉली को तुरंत याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

(11) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Aryan Mishra